यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उत्तराखण्ड जल संस्थान, चम्पावत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय उत्तराखण्ड जल संस्थान, चम्पावत** के माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अरिन्द्रम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.2016 से 05.11.2016 तक श्री वी.डी. सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.02.2015 से 10.03.2015 तक श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- P/416 एवं 418

(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

(ii)(अ) विगत तीन वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(II) (अ) विगत तीन वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	98.079	104.846	378.851	314.495	202.260	265.560	0.00	203.981
2014-15	162.435	41.546	797.730	447.672	291.945	310.845	0.00	535.139
2015-16	512.493	22.646	638.325	680.430	263.933	266.320	0.00	490.647

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय आधिक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15	वी.ए.डी.पी.	55.259	34.890	48.828	41.321
2015-16	वी.ए.डी.पी.	41.321	30.540	15.291	56.570

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्षों से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(III) इकाई को बजट (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (अ) श्रेणी (जिस श्रेणी के अंतर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में .....(अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, चम्पावत (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 08/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 20(1), लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
195/2014-15	शून्य	प्रस्तर - 2 एवं 3 STAN- 1

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय।

मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर सं. लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
195/2014-15	भाग-2(ब) प्रस्तर – 1 से 3	P/32-52	P/54	भाग-2(ब) के प्रस्तर-1 निस्तारित करने की संस्तुति किया गया।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाय)

विस्तार से सूचना पृष्ठ - 416 से 418 में उल्लिखित

1- पूर्णागिरी मेला में पेयजल व्यवस्था
2- भारी वरसान में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं में पेयजल व्यवस्था।
3- ग्रीस्मकाल में पेयजल व्यवस्था।
4- टनकपुर नगरीय एवं वनवसा में नये नलकुपों की स्थापना।
5- अन्य किये गये विशिष्ट कार्य।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- सरकारी विभागों से जलकर की वसूली न होना (` 63.44 लाख)।

उत्तराखण्ड जल संस्थान की स्थापना प्रदेश में जलापूर्ति एवं सीवर कार्य हेतु स्वायत्त निकाय के रूप में अगस्त 2002 में UP Water and Sewerage Act 1975 (उत्तराखण्ड में भी यथा लागू) के अंतर्गत की गयी। इस अधिनियम की धारा 59(2) के अनुसार संस्थान का दायित्व है, कि वह उसके आपूर्ति किये गये जल के सापेक्ष उपभोक्ताओं से इसके एवज् में जलमूल्य की समय-समय पर वसूली करता रहे।

खण्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न सरकारी विभागों (केन्द्रीय एवं राजकीय) को प्रदत्त जलापूर्ति संयोजनों के सापेक्ष उनके माह सितम्बर 2016 की लम्बी अवधी तक ` 63,43,539/- के जलमूल्य की वसूली लम्बित् थी।

इसके अलावा निम्न तथ्य भी प्रकाश में आये हैः-

(1) आठ सरकारी विभाग ऐसे है, जिन पर ` 1 लाख से अधिक के जलकर की वसूली लम्बित थी। जिनका विवरण निम्नवत है।

क्रं.सं.	सरकारी विभाग का नाम	लम्बित वसूली (`)
1.	मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत	` 1,21,245/-
2.	वनाधिकारी, टनकपुर	` 1,01,659/-
3.	तहसील कार्यालय, लोहाघाट	` 2,17,206/-
4.	स्वास्थ्य विभाग	` 6,42,910/-
5.	पुलिस विभाग, लोहाघाट	` 1,43,671/-
6.	खण्ड विकास अधिकारी, लोहाघाट	` 1,89,876/-
7.	पटवारी चौकी (राजस्व विभाग)	` 10,26,791/-
8.	आंगनबाड़ी (बाल विकास विभाग पार्टी)	` 13,65,756/-
कुल		**` 38,09,114/-**

उपरोक्त बकाया खण्ड के वित्तीय वर्ष 2015-16 के कुल बकाये का ` 89.51 लाख का 42 प्रतिशत है।

(2) यह तथ्यात्मक है, कि वर्ष 2015-16 में खण्ड का जलापूर्ति हेतु परिचालन व्यय ` 333.47 लाख था, जबकि जलमूल्य की वसूली से खण्ड की आय ` 220.86 लाख थी। जो कि परिचालन व्यय का 66

प्रतिशत बैठती है। जिसके विदित होता है, कि खण्ड को अपने परिचालन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु जलमूल्य हेतु जलमूल्य की सरकारी विभागों से वसूली करने के लिये उच्चस्तर पर कार्यवाही करना अपेक्षित है।

(3) खण्ड द्वारा उक्त वसूली हेते इन विभागों को जल संस्थान के अधिनियम की धारा 64(i) के अनुसार कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर उत्तर में बताया गया कि उपरोक्त विभागों से खण्ड स्तर से पत्राचार किया गया था कि जलमूल्य को तुरन्त जमा कर दिया जाये। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि खण्ड द्वारा उत्तर प्रदेश वॉटर सफ्लाई खण्ड सीवरेज सर्विसेज एक्ट 1975 की धारा 64(i) जिसके अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं जिन्होनें जलमूल्य का भुगतान समय से न किया हो से वसूली हेतु 'Recovery Certificate' जारी की जानी थी। जो कि खण्ड द्वारा नहीं की गयी, तथा अधिनियम की धारा 72 के अनुसार भी इन उपभोक्ताओं के जल संयोजन विच्छेदित नहीं किये गये।

STAN

प्रस्तर-1- जल जमा न करने वाले उभोक्ताओं की जलापूर्ति का विच्छेदन न करने से हानि (` 4.58 लाख)

Section 74 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act 1975 provides that the Jal-Sansthana may cut off the water supply from any premises if any tax, fee, rental cost, of water or any charges or other seem due to under this Act, is not paid within a period of 15 days, after service of bill for the same or if after the receipt of the written notice from the Jal Sansthan requiring him to refrain from so doing, the customer continues to use the water or to permit the same to be used in contravention of the provision of this Act, or any rules or regulations or by laws made their under.

वित्तीय वर्ष 2015-16 में खण्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि जल संस्थान द्वारा 125 Defaulter उभोक्ताओं को 125 Recovery Certificate निर्गत किये गये, जिसकी कुल धनराशि ` 9.79 लाख थी। हालांकि, जल संस्थान द्वारा की गयी अग्रिम कार्यवाही द्वारा 72 उपभोक्ताओं से ` 5.83 लाख के जलमूल्य की वसूली कर ली गयी, तथापि शेष राशि ` 3.96 लाख जलमूल्य की वसूली 53 उपभोक्ताओं से प्राप्त किया जाना बाकी रहा गया था। अतः यह आवश्यक था कि जल संस्थान द्वारा जलमूल्य अदा न करने वाले शेष उपभोक्ताओं की जलापूर्ति का तुरन्त बंद कर दिया जाना था। इसके बावजूद ऐसे Defaulter Consumers को जलापूर्ति निरंतर की जा रही थी। इस प्रकार संस्थान द्वारा कोई कार्यवाही न करने के कारण ` 3.96 लाख की जलमूल्य की वसूली शेष रह गयी थी।

इस प्रकार ` 3.96 लाख की प्राप्ति न होने के साथ-साथ ये उपभोक्ता जलमूल्य अदा किये बिना जल का उपयोग बराबर कर रहे थे, जिससे संस्थान की प्रति माह ` 5035/- की आवर्ती हानि भी हो रही है।

Minimum rate × no. of consumers

` 95/- p.m. × 53= ` 5035/- p.m.

अतः संस्थान द्वारा उन उभोक्ताओं जिनके खिलाफ Recovery Certificate भी जारी की जा चुकी है, किन्तु जिनसे अभी तक जलमूल्य की वसूली नहीं हुई थी, का जल संयोजन अविलम्ब विहेदित किया जाना चाहिये था जो कि अभी तक नहीं किया गया था, जो कि अभी तक नहीं किया गया था। जिससे न तो लम्बित वसूली की प्राप्ति हुई और न ही आवर्ती नुकसान की भरपायी की जा सकती है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा गया कि वसूली न होने पर खण्ड द्वारा अधिनियम के अनुसार तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

STAN

प्रस्तर-2- ` 3.71 लाख के लेबोरेट्री यंत्रांश बिना इन्श्योरेन्स के विगत 5 वर्ष से पड़े रहना।

उत्तराखण्ड राज्य में जल संस्थान विभाग सम्पूर्ण राज्य में पेयजल की सप्लाई करनी है एवं वर्ष 2011 में शासन द्वारा निर्णय लिया गया था कि यह निरन्तर परीक्षण किया जाना चाहिये ताकि जनसमूह को शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल दिया जा सके।

इस निर्णय के साथ न्यू दिल्ली के M/s FICCI Research and Analysis centre, plot No. 2A, Sector-8 Dwarka New Delhi-75 के साथ अनुबंध संख्या C.B No. 21/Running Lab/2011-12 दिनांक 25-11-2011 के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक समर्थित उत्तराखण्ड जल संस्थान का अनुबंध तैयार किया गया जिसके बिन्दु सं.- 18 में यह निर्णय लिया गया था के लेबोरेट्री में प्रयुक्त समस्त यंत्र-यन्त्रांश इन्श्योर्ड (Insured) होना चाहिये। "The Laboratory shall be Insured against burglary, fire etc. by the Executive Engineer/Engineer-in-change with immediate effect, positively. "

कार्यालय उत्तराखण्ड जल संस्थान, चम्पावत द्वारा परिचालत जल परीक्षण प्रयोगशाला में कुल ` 3,71,368.58 धनराशि के यंत्र-यंत्रांश उपयोग में है पर इन्श्योरेन्स नहीं किया गया जबकि यह अनुबंध अनुसार स्थापना वर्ष 2011 में किया जाना चाहिये था।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर आपत्ति का समर्थन करते हुये इकाई द्वारा बताया गया कि यह कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(i)

(ii) शून्य

(iii)

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	**नाम**	**पद नाम**
1.	श्री पी.सी. करगेली	अधिशासी अभियन्ता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी **कार्यालय उत्तराखण्ड जल संस्थान, चम्पावत** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जांय)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी एक प्रति **कार्यालय**

उत्तराखण्ड जल संस्थान, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित की गयी कि उनकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा

अधिकारी

(सामाजिक क्षेत्र)